

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —: कार्यालय आदेश :—

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक: प.04(15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 एवं 24.06.2019 के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना की गई है। उक्त के तहत इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण के लिये शासकीय आदेशों में उल्लेखित जिला स्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा दिनांक 26 एवं 27 जून 2019 को आयोजित साक्षात्कार में चयनित पैनल के आधार पर निम्नलिखित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में उनके नाम के समक्ष अंकित आशार्थियों का अध्यापक लेवल-1 के पद पर चयनोपरान्त पदस्थापन किया जाता है:-

क्र.सं.	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का नाम	चयनित आशार्थी का नाम	चयनित आशार्थी का वर्तमान पदस्थापन
1	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरिजन बरती, श्री गंगानगर	श्री हंसराज	शहीद रामेश्वर लाल राउमावि, राजपुरा (46 आरबी) पदमपुर, श्रीगंगानगर

शर्तों:- उपर्युक्त आशार्थियों का चयनोपरान्त पदस्थापन अग्रांकित शर्तों के आधार पर किया जाता है:-

- 1 आशार्थी की नियुक्ति राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) के तहत नहीं हुई हो।
- 2 आशार्थी का मूल पदस्थापन वर्तमान में चयनित विद्यालय से सम्बन्धित जिला/मण्डल क्षेत्राधिकार में ही होना चाहिए।
- 3 आशार्थी की नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही हुई हो अथवा पंचायती राज विभाग में प्रथम नियुक्ति की स्थिति में आशार्थी की राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम: 6-डी के तहत विभाग में चयन हो चुका हो।
- 4 सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से दिनांक 23/07/19 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20/131 दिनांक : 17.07.19

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 7 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदस्थापन आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 संबन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति।
- 10 संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक एवं सचिव जिला स्तरीय चयन समिति।
- 11 संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक।
- 12 संबन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से की जानी सुनिश्चित करे।
- 13 संबन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)।
- 14 रक्षित पत्रावली।



अनुपस्थित निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —: कार्यालय आदेश :—

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक: प.04(15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 एवं 24.06.2019 के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना की गई है। उक्त के तहत इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण के लिये शासकीय आदेशों में उल्लेखित जिला स्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा दिनांक 26 एवं 27 जून 2019 को आयोजित साक्षात्कार में चयनित पैनल के आधार पर निम्नलिखित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में उनके नाम के समक्ष अंकित आशार्थियों का अध्यापक लेवल-2 (विषय-अंग्रेजी, विज्ञान/गणित) के पद पर चयननोपरान्त पदस्थापन किया जाता है:-

क.स.	जिला	पदस्थापित महात्मा गांधी विद्यालय का नाम	आशार्थी का नाम	चयनित आशार्थी का वर्तमान पदस्थापन	विषय का नाम
1	BIKANER	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर	श्रीमती आरती सचदेव	राउमावि, करणीसर, बीकानेर	अंग्रेजी

शर्त:- उपर्युक्त आशार्थियों का चयननोपरान्त पदस्थापन अग्रांकित शर्तों के आधार पर किया जाता है:-

- 1 आशार्थी की नियुक्ति राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) के तहत नहीं हुई हो।
- 2 आशार्थी का मूल पदस्थापन वर्तमान में चयनित विद्यालय से सम्बन्धित जिला/मण्डल क्षेत्राधिकार में ही होना चाहिए।
- 3 आशार्थी की नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही हुई हो अथवा पंचायती राज विभाग में प्रथम नियुक्ति की स्थिति में आशार्थी की राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम: 6-डी के तहत विभाग में चयन हो चुका हो।
- 4 सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से दिनांक 23/07/19 कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20/132 दिनांक : 17-07-19

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 7 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदस्थापन आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति।
- 10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक एवं सचिव जिला स्तरीय चयन समिति।
- 11 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक।
- 12 संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष
- 13 संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)।
- 14 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —: कार्यालय आदेश :—

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक: प.04(15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 एवं 24.06.2019 के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना की गई है। उक्त के तहत इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण के लिये शासकीय आदेशों में उल्लेखित जिला स्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा दिनांक 26 एवं 27 जून 2019 को आयोजित साक्षात्कार में चयनित पैनल के आधार पर निम्नलिखित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में उनके नाम के समक्ष अंकित आशार्थियों का वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनोपरान्त पदस्थापन किया जाता है:-

क्र.स.	जिला	पदस्थापित महात्मा गांधी विद्यालय का नाम	आशार्थी का नाम	चयनित आशार्थी का वर्तमान पदस्थापन
1	UDAIPUR	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमण्डी, उदयपुर	श्री करण सिंह चुण्डावत	राउमावि, धानमण्डी, उदयपुर

शर्त:- उपर्युक्त आशार्थियों का चयनोपरान्त पदस्थापन अग्रांकित शर्तों के आधार पर किया जाता है:-

- 1 आशार्थी की नियुक्ति राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) के तहत नहीं हुई हो।
- 2 आशार्थी का मूल पदस्थापन वर्तमान में चयनित विद्यालय से सम्बन्धित जिला/मण्डल क्षेत्राधिकार में ही होना चाहिए।
- 3 आशार्थी की नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही हुई हो अथवा पंचायती राज विभाग में प्रथम नियुक्ति की स्थिति में आशार्थी की राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम: 6-डी के तहत विभाग में चयन हो चुका हो।
- 4 सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से दिनांक 23/07/19 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20/133 दिनांक : 17.07.19

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 7 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदस्थापन आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
- 8 सिरटम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति।
- 10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक एवं सचिव जिला स्तरीय चयन समिति।
- 11 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय)-प्रारम्भिक।
- 12 संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष
- 13 संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)।
- 14 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर